

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

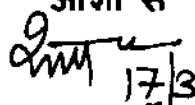
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ७५७ /2021 दिनांक १७.03.2021

सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), तत्कालीन विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-04, जयपुर महानगर-II हाल न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तिजारा (अलवर) को दिनांक 24.02.2021 से 26.02.2021 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश 27.02.2021 से 28.02.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-02, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-04, जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

17/3/2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/43/2016/ १७९१

दिनांक १७.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 889 दिनांक 01.03.2021 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तिजारा (अलवर) ।
4. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-04, जयपुर महानगर-II
5. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-02, जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार